महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक द्वारा जनसुनवाई में सुनीं गयी आमजन की समस्याएं, त्वरित व निष्पक्ष निस्तारण के दिए निर्देश...

पुलिस अधीक्षक महोबा प्रबल प्रताप सिंह द्वारा प्रतिदिन की भाति आज दिनांक- 12.02.2026 पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान जनपद के दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया एवं प्रत्येक प्रकरण का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट किया गया कि सभी शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को समयबद्ध न्याय प्राप्त हो और पुलिस-जन संवाद और अधिक सुदृढ़ हो।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह भी उपस्थित रहें। उन्होंने भी प्रकरणों की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कर जनविश्वास को और मजबूत करना है।

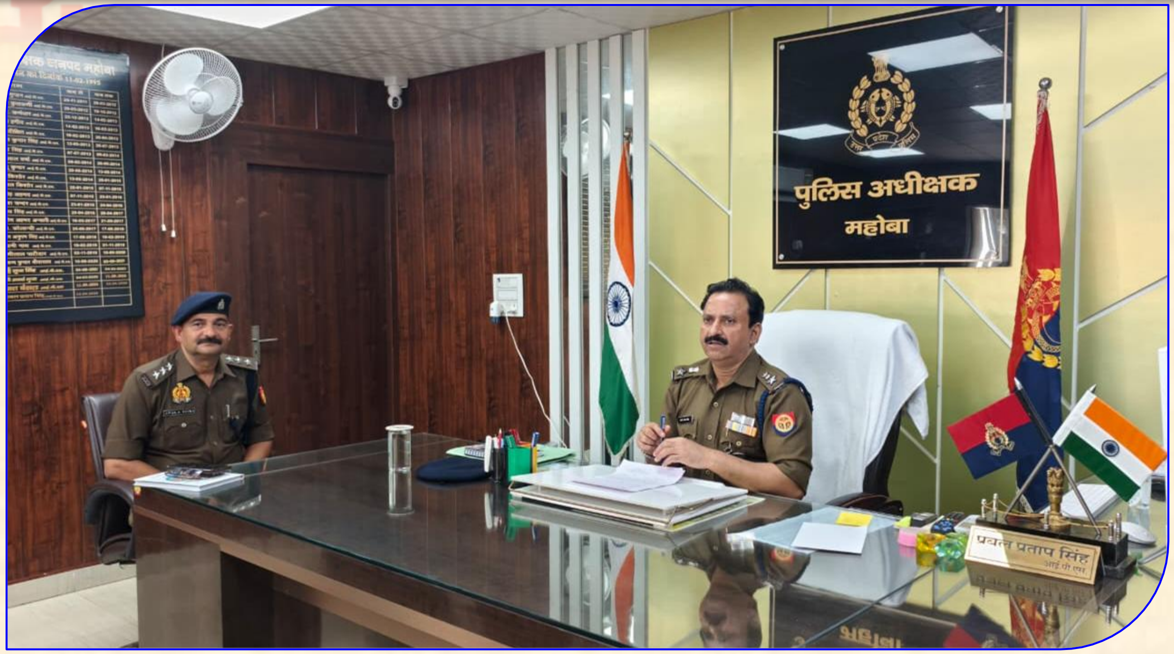

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 12.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपद महोबा पुलिस द्वारा SPEL कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत विशेष सत्र आयोजित...

आज दिनांक 12.02.2026 को महिला थाना एवं थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा की पुलिस टीम द्वारा भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार संचालित *Student Police Experiential Learning (SPEL)* कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत एक विशेष शैक्षिक सत्र का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह (नोडल अधिकारी, SPEL-3) के कुशल मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम के दौरान थानों से नामित नोडल अधिकारियों द्वारा चयनित शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को थाना कोतवाली नगर का भ्रमण कराया गया। उन्हें थाना कार्यालय की कार्यप्रणाली, अभिलेख संधारण प्रणाली, जनसुनवाई व्यवस्था तथा पुलिस की दैनिक कार्यशैली के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही, विद्यार्थियों को *Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS)* की कार्यप्रणाली, ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण, अपराध एवं अपराधियों के डिजिटल अभिलेखीकरण आदि के विषय में भी अवगत कराया गया।

इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने पुलिस कार्यप्रणाली से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका अधिकारियों द्वारा सरल एवं संवादात्मक तरीके से समाधान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पुलिस-जन सहभागिता को सुदृढ़ करना तथा विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना रहा।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 12.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कुलपहाड़ क्षेत्र के विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, रैली एवं शपथ ग्रहण का आयोजन

आज दिनांक 12-02-2026 को निदेशक महिला कल्याण, जिलाधिकारी महोदय एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय के कुशल मार्गदर्शन में कंपोजिट विद्यालय ग्राम पंचायत मंगरोल कला, एवं प्राथमिक विद्यालय ग्राम रगौलिया, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम, हस्ताक्षर अभियान एवं रैली का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि कानून के अनुसार विवाह हेतु लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में किया गया विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है। अधिनियम के उल्लंघन पर 2 वर्ष तक का कारावास एवं 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। यह अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती है।

बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि कम उम्र में विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भविष्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित होता है तथा वे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं एवं घरेलू हिंसा का शिकार हो सकती हैं। शिक्षा को बालिकाओं के सशक्तिकरण का आधार बताते हुए उन्हें शिक्षित एवं जागरूक बनने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं हेल्पलाइन नंबरों—1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1090 (महिला हेल्पलाइन), 181 (महिला सहायता) एवं 112 (आपातकालीन सेवा) की जानकारी भी प्रदान की गई तथा बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। तत्पश्चात उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह की रोकथाम हेतु शपथ दिलाई गई।

कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग से संरक्षण अधिकारी श्री श्याम बाबू विश्वकर्मा, जेंडर स्पेशलिस्ट श्रीमती रुचि द्विवेदी, श्रीमती सीमा यादव तथा पुलिस विभाग से उपनिरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, उपनिरीक्षक श्री कृष्ण वैश्य, हेड कांस्टेबल सुमित कुमार, महिला आरक्षी बबीता पाल सहित विद्यालय के प्रधानाचार्य, समस्त अध्यापकगण, स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 12.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक महोबा का सघन भ्रमण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा — यातायात नियमों का कराया पालन

आज दिनांक 12.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा आगामी महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल के साथ सघन भ्रमण किया गया।

इस दौरान राम कथा मार्ग, आल्हा चौक, उदल चौक सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। संवेदनशील व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा सतर्कता के साथ ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया।

भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा स्थानीय व्यापारी बंधुओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया तथा त्योहार के दौरान पुलिस द्वारा पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक कर उनकी क्रियाशीलता के संबंध में जानकारी ली गयी एवं आवश्यकतानुसार कैमरों को सुचारु स्थिति में रखने हेतु निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों को रोककर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा ट्रिपलिंग कर रहे वाहन चालकों एवं बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये कि महाशिवरात्रि पर्व के दौरान जनपद में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस पूरी तरह सजग एवं प्रतिबद्ध है। आमजन से भी अपील की गई कि त्योहार को शांति एवं आपसी भाईचारे के साथ मनायें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

जनपद महोबा पुलिस द्वारा आगामी पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु निरंतर निगरानी एवं प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 12.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान 5.0 :- परिवार परामर्श केन्द्र की पहल से 03 परिवारों में लौटी खुशियाँ, आपसी मतभेद हुए दूर...।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत जनपद महोबा पुलिस द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्र के प्रभावी प्रयासों से कई बिखरते परिवारों को टूटने से बचाया गया है। संवाद, समझ और संवेदनशील परामर्श के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान कर परिवारों में पुनः खुशियों की वापसी कराई गई।

आज दिनांक 12.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन महोबा स्थित सभाकक्ष में परिवार परामर्श केन्द्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी महिला थाना उ0नि0 निकिता शुक्ला द्वारा की गई। कार्यक्रम में परिवार परामर्श केन्द्र के सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान पति-पत्नी के 18 ऐसे जोड़ों, जिनके मध्य पारस्परिक पारिवारिक विवाद चल रहा था, की गहन काउंसिलिंग की गई। प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना गया तथा दोनों पक्षों की समस्याओं के समाधान हेतु संयमित, सकारात्मक एवं संवेदनशील परामर्श प्रदान किया गया। काउंसिलिंग के परिणामस्वरूप 03 पति-पत्नी (दंपत्ति) पुनः आपसी सहमति से साथ रहने के लिए राज़ी हुए। शेष प्रकरणों को आगामी तिथि पर पुनः काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है।

परिवार परामर्श केन्द्र एवं जनपद महोबा पुलिस के इन सफल प्रयासों की प्रभावित परिवारों एवं उनके परिजनों द्वारा सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

परामर्श कार्यक्रम के दौरान म0कां0 अनुप्रिया, म0कां0 प्रीती सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर श्रीमती नीतू पालीवाल, श्रीमती विभा पुरवार, नेहा चंसौरिया, श्री रामजी गुप्ता, श्री मो0 हनीफ आदि सम्मानित सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति सराहनीय रही।